न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 433/2022

वाद दायरी दिनांक :- 18.08.2022

1. शौकत व्यस्क पुत्र इब्राहीम
2. अब्दुल मजीद उम्र व्यस्क पुत्र इब्राहीम
3. मोहम्मद यासीन उम्र व्यस्क पुत्र इब्राहीम
4. सलीम उम्र व्यस्क पुत्र गुलाम हुसैन
5. बसीरा उम्र व्यस्क पत्नि गुलाम हुसैन

समस्त जाति तेली समस्त निवासीगण वार्ड न 01 बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)।

वादीगण–

बनाम

1 अब्दुल रजाक उम्र व्यस्क पुत्र खैरदीन

2. अब्दुल सत्तार पुत्र खैरदीन (मृतक)

2/1 जरीना पत्नी

2/2 फारूक पुत्र

2/3 अब्दुल रऊफ पुत्र

2/4 रुकसाना पुत्री

2/5 जन्नत पुत्री

2/6 सहनाज पुत्री

2/7 तरन्नुम पुत्री

3. बानो उम्र व्यस्क पुत्री खैरदीन

4. मदीना उम्र व्यस्क पुत्री खैरदीन

5. जैबुनिशा उम्र व्यस्क पुत्री खैरदीन

6. अयुब उम्र व्यस्क पुत्र जाफर हुसैन

7 जन्नत उम्र व्यस्क पुत्री जाफर हुसैन

8 जुबैदा उम्र व्यस्क पुत्री जाफर हुसैन

9 जमिला उम्र बयस्क पुत्री जाफर हुसैन

10 निशा उम्र व्यस्क पुत्री जाफर हुसैन

11 प्रवीण उम्र व्यस्क पुत्री जाफर हुसैन

12 समीम उम्र व्यस्क पुत्री जाफर हुसैन

13 सलीम उम्र व्यस्क पुत्र जाफर हुसैन

14. अख्तर हुसैन उम्र व्यस्क मोहम्मद

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावा

15. असगर अली उम्र व्यस्क पुत्र मोहम्मदः
16 असलम उम्र व्यस्क पुत्र मोहम्मद
17 मौ सलीम उम्र व्यस्क पुत्र मोहम्मद
18. राबिया उम्र व्यस्क पुत्री मोहम्मद
19. सलमा उम्र व्यस्क पुत्री मोहम्मद
20 रफीक उम्र व्यस्क पुत्र गुलाम हुसैन
21 फारूक उम्र व्यस्क पुत्र गुलाम हुसैन
22 आसीया उम्र व्यस्क पुत्री इत्मुदीन
23. नजमा उम्न व्यस्क पुत्री इत्मुदीन
समस्त जाति तेली समस्त निवासीगण वार्ड न. 01 बिसाऊ तहसी बिसाऊ जिला झुन्झुनूं (राज.)।
24 राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बिसाऊ जि झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण

वकील वादीगण— श्री एडवाकेट

वकील प्रतिवादी एडवाकेट

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दूरूस्ती बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांकः— 16.01.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कस्वा बिसाऊ पटवार हल्का बिसाऊ की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा न. 15 मी रकवा 31 विगा 18 विश्वा वर्तमान खसरा नं. रकबा 4. १० हेक्टर खसरा न 4 रकबा 2.50 हैक्टर , ख.न. 5 रकबा 0.64 हैक्टर किता 3 कुत रकबा 8.04 हैक्टर भूमि स्थित है जिसे आगे बाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।बादीगण संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत23 एक ही परिवार को सदस्य है जो कि गनी के ही वारिसान है। इस प्रकार से वादीगण सख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 23 एक ही परिवार के सदस्य है तथा मृतक गनी के वारिसान है। उक्त वर्णित भूमि जो कि गनी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है. जिस पर अपने जिवन काल से ही गनी काबिज काश्त रहे है गनी के देहान्त होने पर उसके दोनों पुत्र पीर बक्स व इब्राहीम काश्त करते रहे है पीरबक्स व इब्राहीम ने अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि का बाहमी तौर पर बराबर बराबर हिस्से में विभाजन कर लिया था तथा अपने अपने हिस्से पर पीर बक्स व इब्राहीम काबिज कारत रहे हैं पीर बक्स व इब्राहीम का देहान्त हो चुका है ।पीर बक्स के दो संतान खैरदीन व मोहम्मद पुत्र हुये खेरदीन व गोहम्मद का देहान्त हो चुका है।खैरदीन के छः सतान जाफर हुसैन, अब्दुल रजाक, अ सतार पुत्रगण, वानो, जैबुनिशा, मदीना पुत्रीया हुये जिसग से जाफा हुआन का देहान्त हो चुका है जाफर हुसेन के आठ वारिसान जुबैदा आय जन्नत, जमिला, निशा प्रवीण, समीन, पुत्रीया सलीम पुत्र हुये इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 खैरदीन के वारिसान है।मोहम्मद के देहान्त होने पर उनके छः वारिसान अख्तर हुसैन, असगर अली, असलम, मौ. सलीम पुत्रगण व राविया सलमा पुत्रीय हुये इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 14 लगायत 19 मोहम्मद के वारिसान है।इब्राहीम के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

वारिसान इल्युदीन, शौकत, गुलाम हुसैन, अब्दुल मजिद, माहम्मद यासीन पुत्रगण हुये इब्राहीम के पुत्र इल्युदीन व गुलाम हुसन का देहान्त हो चुका है ।इल्युदीन के वारिसान सुगरा पत्नि, आसिया, नजमा पुत्रीया इल्युदीन की पत्नि सुगरा का देहान्त हो चुका है इसलिये आसिया, नजमा प्रतिवादी संख्या 22 व 23 इल्युदीन की वारिसान है ।गुलाम हुसैन के वारिसान बसीरा पत्नि व रफी फारूकसलीन पुत्रगण हुये जो कि वादी संख्या 01 व 5 प्रतिवादी संख्या 20 व 21 है। गनी के देहान्त होने पर उक्त भूमि पर गनी को दोनों पुत्र पीर बक्स व इब्राहीम काबिज काश्त रहे है तथा दोनों अपने किये गये बाहमी बटवारे अनुसार काबित कास्त रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही से उक्त भूमि का सम्पूर्ण रिकार्ड गनी के दोनों पुत्रों पी बक्स व इब्राहीम के बजाय पीर बक्स के एकेले के नाम से दर्ज कर दिया जबकि कि उक्त भूमि पर इब्राहीम अपने 1/2 हिस्से को भूमि पर काबिज काश्त रहे है इब्राहीम के देहान्त होने पर उसके वारिसान आज भी काबिज काश्त है इब्राहीम का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे बतौर उपकृषक जमाबंदी सम्वत 2016 से 2023 तक व गिरवाकी सम्वत 2016 से 2023 में दर्ज है तथा इब्राहीम ने अपने 1/2 हिस्से को भूमि का लगान भी अदा किया था जिसकी रसीदे इब्राहीम के नाम से है दर्ज है यद्यपी इस गलत राजस्व रिकार्ड के कायम रहने से इयाहीन के 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे व काश्त में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परन्तु भविष्य में चलकर कभी भी इब्राहीम के वारितान कदीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण सख्या 21 लगायत 23 के आकारों पर कुठाराघात हो सकता है जबकि इब्राहीम के देहान्त होने पर उसके वारिलान वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 23 अपने सयुक्त रूप से 1/2 की भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार इनको साजेदार काश्तकार घोषित किया जावे। ऐसीहालत में वादीगण के लिए यह दावा बाबत घोषणार्थ का पेश करना आवश्यक हुआ।वाद पत्र में दर्ज विवादित भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 अपने हिस्से की मुताबिक भूमि पर काबिज व काश्त है इसी अनुसार मोके पर काश्त व कब्जा है। विवादित भूमि पैतृक भूमि है। जिसे पिढियों से वादीगण सख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या लगायत 23 के पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे है। परन्तु गलती से राजस्व रिकार्ड में गनी की मृत्यू होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के दादा पीर बक्स के नाम दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है। वास्तव में राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 20 तगावत 23 के पिता/दादा इब्राहीम के नाम दर्ज होना चाहिये था तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 के दादा पीर बक्स के नाम दर्ज होना चाहिये था इसी अनुसार वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 23 अपने पिता/ दादा इब्राहीम के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 अपने दादा / परदादा पीर बक्स के 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार मोके पर काश्त व कब्जा है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड गलत चला आ रहा है। उक्त राजस्व रिकार्ड काबिले दूरुस्ती है व राजस्व रिकार्ड दूरुस्त होना आवश्यक है। ऐसी हालत में यह भावा बाबत रिकार्ड दूरुस्ती का पेश करना आवश्यक है। वाद में दर्ज भूमि के मौके पर वादीगण संख्या 1लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 23 अपने 1/2 हिस्से की भूमिपर काश्त व काबिज है। परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड के कारण प्रतिवादी संख्या संख्या 1 लगायत 19 की नियत खराब हो गयी और वे गलत राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

की आड़ में भूमि को विक्रय करने व वादीगण संख्या 01 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 को बेदखल करने को आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक य अधिकार नहीं है। अगर यह अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गये तो वादीगण संख्या 1 ला 5 व प्रतिवादीगण सख्या 20 लगायत 23 को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से अत्तम्भव होगा। बादीगण संख्या लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 को व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फसना पड़ेगा। इसलिए प्रतिवादीगण २० । लगायत 19 को पाबन्द किया जावे कि गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में भूमि को विक्रय नहीं करे वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 को बेदखल नहीं करे। ऐसी हालत में यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा उन पेश करना आवश्यक हुआ।वाद पत्र में वर्णित भूमि मे वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण सख्या 20 लगायत 23 अपने 1/2 हिल्ले की भूमि पर व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 अपने 1/2 हिस्त की भूमि पर काबिज है। मौके पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 व प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 19 ने आपसी सहुलियत से मौखिक बंटवारा करके अपने–अपने हिस्से पर काइत व काबिज है। परन्तु विवादित भूमि का अभी तक विधिवत रूम से बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संस्था 20 लगायत 23 अपने 1/2 हिल्ले की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकरलग खाता कायम करवाकर अलग निर्धाराआवरी है ऐसी हालत में यह दावा बाबत बटवारा अमीन का पेश करना आवश्यक हुआ।वाद पत्र में वर्णित भूमि की वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होने की जानकारी होने पर तहसीलदार महोदय बिसाऊ से सलाह मशविरा करने पर श्रीमान जी की यहां उक्त उनवानी दावा पेश करने की सलाह देते उक्त दावा न्यायालय श्रीमान के यहां पेश करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र के साथ डुप्लीकेट प्रति मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिकी इस अमर का फरमाया जाये थी

(क) यह कि कस्वा बिसाऊ पटवार हल्का बिसाऊ की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा न. 15 मी. रकबा 31 बिघा 16 विश्वा वर्तमान खसरा नं. 3 रकबा 4.90 हेक्टर खसरा न 4 रकबा 2.50 हेक्टर सासरा न. 5 रकबा 0.64 हेक्टर कुल किता 3 फुल रकचा 8.04 हेक्टर भूमि में से वादीगण संख्या । लगायत 5 प्रतिवादीगण संख्या 20 लगा 23 को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 के 1/2 हिस्से की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त सत्ता कायमकरते हुने विधिवत बाईअनुराजन कर अलग बाता खतौनी पास बुक जारी की जाकावर लगान कायम किये जाने का आदेश फरमाया जायें।

(ड) यह कि प्रतिवादीगण लगाया 19 को स्थाई निषेधाज्ञा से बंद किया जावे कि वे गलत राजस्व रिकार्ड की आस में वादीगण 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण सख्या 20 लगायत 23 के 1/2 हिससे की भूमि को रहन या विक्रय नहीं करे खुर्द बुर्द नहीं करे वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 के हिस्से में किसी भी प्रकार की दखलदांजी न स्वय करे नही किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(ग) यह कि अन्य सिधि जो भूल से चाही जाने से रह गई हो तथा वादीगण के हक में हो वे भी दफा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहत मुर्फीद वादीगण फरमाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया प्रतिवादी नं0 01 लगायत 03 ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 24 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी अब्दुल मजीद एवं शौकत ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया । प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रर्दश–जमाबन्दी 2074–77 प्रर्दश2 मिलान क्षेत्र फल, प्रर्दश–3 भू प्रबंधन विभाग जमाबन्दी 2060–80, प्रर्दश–4 जमाबन्दी वर्षा 2005, प्रर्दश–5 जमाबन्दी सम्वत 2069, प्रर्दश–6 जमाबन्दी सम्वत 2012–15, प्रर्दश–7जमाबन्दी 2020–23, प्रर्दश–8 जमाबन्दी सम्वत2016–19, प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2032–35, प्रर्दश–10 खसरा गिरदावरी 2021,22,23, प्रर्दश–11 खसरा गिरदावरी 2017,18,19 प्रर्दशः– मृत्यु प्रमाण पत्र इब्राहिम अब्दुल गनी पेश किय।

विद्वान अधिवक्ता की आम सहमती से वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर खबिसाऊ पटवार हल्का बिसाऊ की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा न. 15 मी. रकबा 31 बिघा 16 विश्वा वर्तमान खसरा नं. 3 रकबा 4.90 हेक्टर खसरा न 4 रकबा 2.50 हेक्टर सासरा न. 5 रकबा 0.64 हेक्टर कुल किता 3 फुल रकचा 8.04 हेक्टर भूमि में से वादीगण संख्या । लगायत 5 प्रतिवादीगण संख्या 20 लगा 23 को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 के 1/2 हिस्से की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त सत्ता कायम करते हुऐ विधिवत वाईमिट्स कर अलग खाता खतौनी पास बुक जारी की जाकर लगान कायम किये जाने का के आदेश दिये जावे।

विधि में भूमि के विभाजन व घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा एवं धारा 53 में भूमि क्षेत्र के विभाजन का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार गनी के नाम से रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत साजरे के अनुसार गनी के दो पुत्र इब्राहित अब्दुल गनी एवं पीरबक्स है ।जमाबन्दी सम्वत 2016–19 व 2020–23 में अब्दुल पुत्र गनी उपकृषक के रूप में दर्ज है। पीरबक्स के वारिसान प्रतिवादी 01 लगायत 03 ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम बिसाऊ पटवार हल्का बिसाऊ तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं की सरहद में कृषि भूमि जमीन खसरा नं. 3 रकबा 4.90 हेक्टर खसरा न 4 रकबा 2.50 हेक्टर खसरा न. 5 रकबा 0.64 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 8.04

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

हेक्टर में पीरबक्स के वारिसान यानी वर्तमान दर्ज खातेदारों के सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से हद तक हिस्सा हजफ कर, हजफ 1/2 हिस्से में वादीगण संख्या 01,02 व 03 को बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्से, वादी संख्या 04व 05 व प्रतिवादी संख्या 20 एव 21 को 1/5 हिस्से की हद तक, प्रतिवादी संख्या 22 व 23 को 1/5 हिस्से की हद तक, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा